



2026:AHC: 59616

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1867 वर्ष 2026

अमरदीप

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : ओम प्रकाश विश्वकर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- इस न्यायालय ने 24.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, थाना - ज्ञानपुर, जिला- भदोही में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 264 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 137(2), 87, 98, 99, 96, 64(1) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 16/17 के अंतर्गत उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक को वर्तमान वाद में झूठा फँसाया गया है और वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत मांगता है:-

(i) आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है।

(ii) कथित पीड़िता के बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज बयानों में आवेदक को नामजद नहीं किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक का नाम सह-अभियुक्त के अभिरक्षा में लिए गए बयान में सामने आया है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

(iv) आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फरार नहीं होगा और विवेचना और विचारण में सहयोग करेगा।

4- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने कहा है कि अग्रिम जमानत आवेदन का नोटिस सूचनाकर्ता को केवल 22.2.2026 को ही तामील किया जा सका। वह प्रार्थना करते हैं कि सूचनाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कुछ समय दिया जाए और उन्होंने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है।

5- इसे 10.03.2026 को नवीन के रूप में प्रस्तुत करें।

6- होली की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए, जो 01.03.2026 से शुरू होने वाली हैं, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत के लिए विचार किया जाए।

7- प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट, बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयानों में नामजद नहीं है और आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त भी नहीं है, अंतरिम राहत का मामला बनता है।

8- 10.03.2026 तक, पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक-अमरदीप की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना-प्रभारी / न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अंतरिम अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाएगा:-

i- आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv- आवेदक अभियोजन के साक्षीगण पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें न ही डराएगा-धमकाएगा;

9- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

10- इस बीच, विद्वान ए.जी.ए. आवेदक के विरुद्ध विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री को अभिलेख पर लाते हुए एक जवाबी शपथपत्र दाखिल कर सकते हैं।"

2- पक्षकारों के बीच जवाबी और प्रत्युत्तर शपथ पत्र का आदान-प्रदान हो चुका है और विपक्षी पक्षकार संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

3- न्याय के हित में मामले को 24.02.2026 को स्थगित कर दिया गया था ताकि सूचनाकर्ता को उपस्थित होने और अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध करने के लिए समय दिया जा सके। हालाँकि, आज तक मामले में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

4- उपरोक्त के आलोक में, यह न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की सहायता से मामले को उसके अपने गुण-दोष पर निर्णीत करने के लिए आगे बढ़ रहा है।

5- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष किए गए प्रस्तुतीकरणों को दोहराया है जैसा कि दिनांक 24.2.2026 के आदेश में दर्ज है।

6- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि पीड़िता नाबालिग है; आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सामग्री है और उसे कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

7- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया है।

8- प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी। बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयानों में आवेदक को नामजद नहीं किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। विवेचना के दौरान जो साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, वे सह-अभियुक्त के बयान के हैं। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

9- ऊपर उल्लिखित वाद के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

10- उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

11- **आवेदक- अमरदीप** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना-प्रभारी / न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाए:-

i- आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv- आवेदक अभियोजन के साक्षीगण पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें न ही डराएगा-धमकाएगा;

12- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

13- यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन निर्णीत करने के लिए हैं और इन्हें वाद के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

23 मार्च, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।